न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 517/09

भंवर सिंह वल्द नाथू सिंह, जाति राजपूत, साकिन ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

बनाम

1. कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम वल्द दयाराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी दरा स्टेशन, तहसील सांगोद, जिला कोटा
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 29.12.2017

उपस्थिति : 1. वादी अभिभाषक श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल
2. प्रतिवादी अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना

निर्णय

वादी द्वारा जर्ये वकील एक वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादी के खाते की आराजी 48/223 रकबा 5 बीघा स्थित है और इस आराजी के पूर्व में प्रतिवादी का खेत खसरा नं. 40 स्थित है। सेटलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 48/223 वादी की अन्य आराजी में मिलाकर खसरा नम्बर 82 बनाया। प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 40 का नया नम्बर 80 व 77 बना व अन्य नम्बर भी बने। लेकिन वादी के खेत से प्रतिवादी का खेत अडवां होने से प्रतिवादी ने वादी के, जो प्रतिवादी की मेड के नजदीक यानि मेड के किनारे पर प्रतिवादी ने उसके खेत पर कुंआ लगवाया और कुंये की मिट्टी व पत्थर प्रतिवादी ने वादी के खेत के रकबे 10 बिस्वा में डलवा दिया और वादी ने प्रतिवादी से कहा तो उसने मलबा हटाने के लिये सहमत रहा। प्रतिवादी हमेशा वादी को आश्वासन देता रहा कि वह वादी के भूमि करीब 10 बिस्वा पर जो मलबा पडा है उसे हटा लेगा और आश्वासन देते देते काफी समय निकाल दिया लेकिन प्रतिवादी इन्कार कभी भी नहीं हुआ और वादी की स्वीकृति से उक्त मलवा अभी भी पडा रहा। इसके बाद सेटलमेन्ट की कार्यवाही हुई तो प्रतिवादी ने दौराने सेटलमेन्ट मलबे वाली वादी की 10 बिस्वा आराजी को प्रतिवादी ने मिलीभगत से अपने नाम सेटलमेन्ट में दर्ज करवा ली जिसका वादी को ज्ञान पहले कभी नहीं हुआ। यह कि गत वर्ष 2004 में जब वादी ने तकाजा प्रतिवादी से किया तो प्रतिवादी ने जमीन को नपवाया और वादी से कहा कि मौजूदा रिकार्ड में यह जमीन मेरी है इसलिये खाली नहीं करूंगा क्योंकि मैने सेटलमेन्ट से खाते बंधवा ली। तब वादी को इस तथ्य का एवं धोखे का ज्ञान हुआ। प्रतिवादी ने कल दिनांक 03.07.2005 को उक्त जमीन खाली करने से साफ मना कर दिया। यही वाद हेतु है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी को वादी की 10 बिस्वा भूमि हाल खसरा नम्बर 82 की जो कुंये की मिट्टी पत्थर से कब्जे में कर रखी है, से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिया जावे एवं रेवेन्यु रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादपत्र में वादी की आराजी खसरा नं. 48/223 रकबा 5 बीघा प्रतिवादी के ज्ञान में नहीं होने से अस्वीकार है। वादी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

इस सम्बन्ध में असल रिकार्ड प्रस्तुत कर सकता है। वादी की आराजी के पास प्रतिवादी के भिन्न भिन्न क्षैत्रफल के खेत है लेकिन उनके पुराने नम्बर क्या रहे। प्रतिवादी को इस समय जानकारी में नहीं है। वादी का खसरा नं. 82 किन किन आराजीयात को मिलाकर बनाया गया, प्रतिवादी को जानकारी में नहीं है। इस सम्बन्ध में वादी को असल रिपोर्ट पेश करना चाहिये। प्रतिवादी के खेतों का खसरा नं. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 लगभग 2.89 हैक्टर है जिसमें ही प्रतिवादी ने कुंआ बनाया है और उस कुंये का मिट्टी मलबा जिस स्थान पर पडा हुआ है वो भी प्रतिवादी की आराजी में ही पडा हुआ है जो सन् 1954–55 में उसी रूप में पडा हुआ है जिससे वादी का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी ने कभी भी मलबा को हटाने एवं वादी को उस जमीन को संभलाने का आश्वासन नहीं दिया। मलबे वाली 10 बिस्वा आराजी प्रतिवादी की है और उसको सही रूप से सेटलमेन्ट वालों ने प्रतिवादी के खाते में दर्ज की है। सन् 1954 से ही वादी को इस वादग्रस्त जमीन के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रही है कि यह जमीन प्रतिवादी की है लेकिन अब वादी की नियत में बदनियती आने से वादी द्वारा गलत रूप से जमीन अपनी बता रहा है। सन् 2004 में कभी भी कोई बातचीत तक प्रतिवादी से नहीं हुई इसलिये कपोल एवं काल्पनिक कहानी लिखी गई है। दावा मियाद बाहर है तथा दावा अस्वीकार है। इसके अतिरिक्त विशेष आपत्तियों में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धी वादी ने कोई घोषणा नहीं चाही इसलिये घोषणा के अभाव में यह वाद खारिज होने योग्य है। वादी को सन् 1954 से ही वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादिनी के कब्जा होने की जानकारी रही है इसलिये यह वाद मियाद बाहर है। सेटलमेन्ट के ही पूर्व जो भूमि प्रतिवादी की थी वही सेटलमेन्ट के पश्चात प्रतिवादी के खाते दर्ज हुई इसलिये सैटलमेन्ट के द्वारा कोई त्रुटि होना गलत अंकित किया गया है और वादी केवल सेटलमेन्ट की आड में प्रतिवादी की जमीन हडपना चाहता है इसलिये उसका वाद दुर्भावना पूर्ण होने से खारिज होने योग्य है। वादी के भाई धनराज सिंह की जमीन जो वादी की जमीन से लगी हुई है, के साथ अगर सम्पूर्ण जमीन की नपती की जावे तो वादग्रस्त आराजी से वादी का कोई सम्बन्ध नहीं निकलता है और वादी गलत रूप से अपनी जमीन नपवाकर वादग्रस्त जमीन को अपनी बताता है जबकि इस सम्बन्ध में कई बार नपती हुई और वादी को अधिकारी द्वारा बता दिया कि उसका वादग्रस्त जमीन से सम्बन्ध नहीं है लेकिन वादी गलत रूप से वादग्रस्त जमीन को अपना बताता है जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। सेटलमेन्ट हुये 27 वर्ष से अधिक हो चुके है। इस बीच कभी भी वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की और अब केवल प्रतिवादिनी को परेशान करने के लिये मध्यान्ति दावा पेश किया। अतः प्रार्थना है कि वादी का दावा खारिज किया जावे।

दौराने वाद हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 25.11.2009 को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की गई जिसमें अंकित किया गया कि ग्राम पदमपुरा के आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह का मौका नवीन एवं गत नक्शे से देखा गया। वर्तमान में खसरा नं. 77 गत खसरा नं. 48/223 व खसरा नं. 40 से बनना चाहिये। गत खसरा नं. 40 जो कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम दत्त, जाति ब्राहम्ण सा. दरा स्टेशन के खाते दर्ज था एवं गत खसरा नं. 48/223 की सीधी मेढ पर कुंये का ठोल (मिट्टी) पडी हुई है जिस कारण वक्त सेटलमेन्ट के द्वारा खसरा नं. 77 नवीन बनाकर गै.मु. चाह दर्ज किया है, जिसमें लगभग 0.07 हैक्टर भूमि खातेदार भंवरसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत सा. पदमपुरा हाल निवासी दरा स्टेशन की गत खसरा नं. 48/223 की शामिल की गई है। उक्त रिपोर्ट पर वादी के हस्ताक्षर है तथा प्रतिवादी के हस्ताक्षर करने से इन्कार किया जाना अंकित है।

इसके पश्चात तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट चाही गई जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.11.2015 को मौके पर जाकर निम्न रिपोर्ट पेश की, जिस पर वादी भंवर सिंह एवं वादिनी के पुत्र रविन्द्र मोहन उक्त दोनों के उपस्थिति हस्ताक्षर भी करवाये गये –

- वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 77 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम, जाति ब्राहम्ण निवासी दरा के खाते नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादी का कुंआ है जिसका अंकन वर्तमान नक्शा मानचित्र में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया हुआ है तथा शेष रकबे पर मिट्टी/मलबा डला हुआ है एवं प्रतिवादी ने पत्थर कोट कर अपनी सीमा में लिया हुआ है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

- वादी भंवरसिंह का खेत खसरा नं. 82 विवादित खसरा नं. 77 से लगवा है जिसमें विवादित साबिक खसरा नं. 48/223 की भूमि (रकबा) को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मिलान क्षैत्रफल में मिलाया हुआ है।
- मुताबिक मिलान क्षैत्रफल खसरा नं. 77 रकबा 0.09 हैक्टर का साबिक खसरा नं. 40 मि. है जबकि नवीन एवं पुराना नक्शा मिलान करने पर खसरा नं. 77 में साबिक खसरा नं. 48/223 की भूमि आती है।
- खसरा नं. 77 व 82 के मध्य की कच्ची पत्थर कोट के पत्थर वादी के है एवं खसरा नं. 77 में प्रतिवादी का पुराना कुंआ है।

पत्रावली के बहस में आने पर वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य के शपथ पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी को वादी की 10 बिस्वा भूमि हाल खसरा नम्बर 82 की जो कुंये की मिट्टी पत्थर से कब्जे में कर रखी है, से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिया जावे एवं रेवेन्यु रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा एवं साक्ष्य के शपथ पत्रों के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी का दावा मियाद बाहर है तथा वादी द्वारा अपने वाद में रेवेन्यू रिकार्ड की दुरूस्ती चाही गई है जबकि धारा 88 आर.टी.ए. में दावा पेश नहीं किया गया है। वादी के गत खसरा नम्बर से बने नये खसरा नम्बर में कायम किया गया रकबा पहले से अधिक दर्ज किया गया है। अतः दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। दौराने वाद प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई थी :–

1 आया वादी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 82 के रकबा 10 बिस्वा जो प्रतिवादी के खेत के अडवा है, पर प्रतिवादी ने उसके कुंये की मिट्टी डालकर अतिक्रमण कर लिया है। जिसे वादी बेदखल कराने की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस बाबत सम्बन्धित पटवारी हल्का के माध्यम से तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 77 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम, जाति ब्राहम्ण निवासी दरा के खाते नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादी का कुंआ है जिसका अंकन वर्तमान नक्शा मानचित्र में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किया हुआ है तथा शेष रकबे पर मिट्टी/मलबा डला हुआ है एवं प्रतिवादी ने पत्थर कोट कर अपनी सीमा में लिया हुआ है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि शेष रकबे पर मिट्टी/मलबा डला हुआ है। खसरा नम्बर 82 के किसी भी भाग पर मिट्टी/मलबा डला होना, इस रिपोर्ट में कहीं भी अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त वादी की ओर से पेश किये गये किसी भी दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वादी के रकबे में कमी हुई है। जमाबन्दी संवत 2029–2032 के अनुसार इंतकाल नम्बर 37 से वादी भंवरसिंह के खाते आराजी नं. 48 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 48/223 की 5 बीघा कुल 2 किता की 18 बीघा 12 बिस्वा दर्ज थी जो जमाबन्दी संवत 2033–2036 में भी वादी के खाते दर्ज थी। मुताबिक मिलान क्षैत्रफल 2038–2057 गत खसरा नम्बर 48 व 48/223 का नया खसरा नम्बर 82 रकबा 4.41 हैक्टर कायम किया गया है जो गत रकबे के मुकाबले अधिक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी के खाते दर्ज आराजी का सेटलमेन्ट के बाद दर्ज किया गया रकबा, सेटलमेन्ट के पूर्व के रकबे के मुकाबले अधिक है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2 आया वादी के खाते की 10 बिस्वा आराजी गलत तौर पर प्रतिवादी के खाते दर्ज कर दी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। तनकी नं. 1 के अनुसार वादी के खाते दर्ज आराजी का सेटलमेन्ट के बाद दर्ज किया गया रकबा, सेटलमेन्ट के पूर्व के रकबे के मुकाबले अधिक है। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (सज.)

3 आया वादी द्वारा आराजी बाबत घोषणा नहीं चाही गई है, इसलिये दावा चलने योग्य नहीं है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रस्तुत प्रकरण के वाद पत्र के अनुसार वादी द्वारा सेटलमेन्ट की त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु वाद पेश किया गया है जिसमें इन्द्राज दुरूस्ती उपरान्त घोषणा तो चाही ही नहीं गई है। बिना घोषणा के उक्त वाद पोषणीय नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

4 आया दावा मियाद बाहर है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत दावा पेश करने की परिसीमा (मियाद), वाद कारण उत्पन्न होने से 12 साल नियत है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से पेश की गई जमाबन्दी संवत 2038–2057 के खसरा नम्बर 77 में कुंआ दर्ज रेकार्ड था अर्थात उक्त अवधि 1981 में वाद कारण उत्पन्न हो चुका था तथापि वादी की ओर से वर्ष 2005 में दावा पेश किया गया जो कि सेटलमेन्ट के लगभग 24 वर्ष बाद पेश किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 12 वर्ष से अधिक अवधि उपरान्त पेश किये जाने के कारण उक्त वाद मियाद बाहर है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

5 सहायता ? प्रकरण के सम्पूर्ण दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन से किये मनन के अनुसार वादी द्वारा उनके वर्तमान खसरा नम्बर में से 10 बिस्वा आराजी कम होने से प्रतिवादी के वर्तमान खसरा नम्बर 77 की आराजी से पूर्ति कराये जाने की सहायता चाही गई है वहीं प्रतिवादी की ओर से पेश किये गये जवाब/साक्ष्य के अनुसार वादी के रकबे में कोई कमी नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किये जाने की सहायता चाही गई है।

उपरोक्तानुसार समस्त तनकीयात तथा प्रकरण के पूर्ण विवेचन के अनुसार वादी की आराजी के वर्तमान खसरा नम्बरान का रकबा गत खसरा नम्बरान से अपेक्षाकृत अधिक है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेन्ट के पूर्व वादी के खाते दर्ज आराजी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। धारा 183 आर.टी.ए. के अन्तर्गत पेश होने वाले वाद में विवादित आराजी वादी के खाते दर्ज होनी चाहिये तथा उस पर प्रतिवादी का अनाधिकृत कब्जा भी सिद्ध होना आवश्यक है। पटवारी रिपोर्ट में भी वादी की आराजी प्रतिवादी के खसरा नम्बर में सम्मिलित होने का उल्लेख किया गया है जबकि मुताबिक मिलान क्षैत्रफल व अन्य राजस्व दस्तावेजात से ऐसा होना प्रतीत नहीं हो रहा है। प्रकरण में कायम की गई तनकी नम्बर 1 व 2 वादी के विरूद्ध तथा तनकी नम्बर 3 व 4 प्रतिवादी के पक्ष में तय की गई है। अतः वादी का वाद धारा 183 आर.टी.ए. के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल उफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/12/17

(दुर्गा शंकर मीना)
आर ए एस
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1 भंवर सिंह वल्द नाथू सिंह, जाति राजपूत, साकिन ग्राम पदमपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1 कौशल्या देवी पुत्री बाबूराम वल्द दयाराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी दरा स्टेशन, तहसील सांगोद, जिला कोटा

2 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 188, 183 RTA
मुकदमा नम्बर : 517/14
निर्णय दिनांक : 29-12-2017

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल तथा प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश नन्दवाना की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 29–12–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वादी का वाद धारा 183 आर.टी.ए. के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 29.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

29/12/17

(दुर्गा शंकर मीना)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस		6.	कमिश्नर की फीस	
	आदेशिका की तामिल				
जोड			जोड		